अमरजीत चौधरी न्यायमूर्ति के समक्ष

रवि प्रकाश,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य,-प्रतिवादी।

1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 6039

16 दिसंबर 1988.

भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14 और 226 - पदोन्नति का अधिकार - पूर्व सैनिक को पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित कोटे से क्लर्क नियुक्त किया गया - आपातकालीन रियायत नियमों का लाभ दिया गया - पूर्व सैनिक भी अनुसूचित जाति का सदस्य - आगे पदोन्नति - पूर्व सैनिक को अन्य क्लर्कों के साथ नहीं जोड़ा गया आगे पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित - भूतपूर्व सैनिक - चाहे वह भूतपूर्व सैनिक और अनुसूचित जाति दोनों होने के लाभों का दावा करने का हकदार हो।

यह माना गया कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षण वैधानिक है, अनुसूचित जाति के कर्मचारी को पदोन्नति के समय इस लाभ से इस आधार पर वंचित कर दिया गया कि उसे शुरू में आरक्षित पद के खिलाफ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। भूतपूर्व सैनिक को कानून में कायम नहीं रखा जा सकता। इसलिए यह माना जाना चाहिए कि एक भूतपूर्व सैनिक दोहरे लाभों का दावा करने का हकदार है, यानी एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और दूसरा अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण, और इसलिए, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा के खिलाफ पदोन्नति उसे दी जानी चाहिए। . (पैरा 5, 7).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:

(i) मामले के रिकॉर्ड मांगे जा सकते हैं;

(ii) प्रतिवादी को अग्रिम नोटिस की सेवा से वह मुक्त कर सकता है;

(iii) उसके द्वारा छोड़े गए अनुबंधों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करना;

(iv) उन्होंने विवादित आदेश अनुबंध पी/6 को रद्द करने के लिए सर्टिओरी प्रकृति की एक रिट जारी की;

(v) उसने याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति का लाभ देने और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी राहतें देने के लिए प्रतिवादी को परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की;

(vi) यह माननीय न्यायालय कोई भी आदेश पारित कर सकता है जिसे यह माननीय न्यायालय इस मामले की विशिष्ट परिस्थितियों के तहत उचित समझे;

(vii) इस रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ता को दी जाए

याचिकाकर्ता के वकील आर.के. मलिक।

जे.बी. टैकोरिया, ए.जी. हरियाणा, प्रतिवादी की ओर से।

निर्णय

अमरजीत चौधरी, जे.

(1) याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति से है। सेना से रिहा होने पर, उन्हें पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित कोटा में हरियाणा के वित्तीय आयुक्त के कार्यालय में क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था और हरियाणा सरकार के निर्देशों के मद्देनजर पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट दी गई थी। हरियाणा सरकार ने याचिकाकर्ता को सेना में सेवा प्रदान करने की सीमा तक आपातकालीन रियायत नियमों का लाभ दिया था। पूर्व सैनिकों को आपातकालीन रियायत नियमों का लाभ देने के बाद, वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई जिसमें याचिकाकर्ता को 14वें नंबर पर दिखाया गया था। याचिकाकर्ता को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के साथ-साथ आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में पदोन्नति मिलनी थी क्योंकि वह 9 फरवरी, 1979 के सरकारी निर्देशों के अनुसार, वह अनुसूचित जाति से संबंधित है। याचिकाकर्ता को मई 1979 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर क्लर्क से सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता की

पदोन्नति की मानी गई तारीख, आपातकालीन रियायत नियमों का लाभ देने के बाद, 29 अक्टूबर, 1975 को आदेश अनुलग्नक पी. 3 द्वारा निर्धारित किया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को डिप्टी अधीक्षक/अधीक्षक के रूप में आगे पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति से संबंधित अन्य क्लर्कों/सहायकों के साथ नहीं जोड़ा गया था।

याचिकाकर्ता के साथ अनुसूचित जाति के कर्मचारियों सर्वश्री दलीप सिंह, काली राम, जिले सिंह और सूबे सिंह के बराबर व्यवहार नहीं किया गया। हरियाणा सरकार द्वारा 18 जुलाई, 1984 को जारी किए गए निर्देशों के आधार पर (अनुलग्नक पी.4 की प्रतिलिपि), जिसमें परिकल्पना की गई है कि एक भूतपूर्व सैनिक जो एससी/बीसी भी है, दोनों भूतपूर्व सैनिकों को बाद में दिए जाने वाले लाभ का हकदार होगा। -सैनिक और एससी/बीसी कर्मियों, याचिकाकर्ता ने सरकार से कहा कि चूंकि वह भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का है और अनुसूचित जाति का भी है, इसलिए उसे अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है, लेकिन, आदेश के अनुसार दिनांक 17 सितम्बर 1986 (प्रति अनुलग्नक पी. 6) में याचिकाकर्ता को सूचित किया गया कि उसे केवल पूर्व सैनिक के रूप में माना जा सकता है और इस तरह उसे अनुसूचित जाति कर्मचारी के रूप में लाभ नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता को आगे सूचित किया गया कि उसे पूर्व सैनिक के रूप में वरिष्ठता, वेतन आदि के लाभ पहले ही दिए जा चुके हैं। प्रतिवादी-राज्य की इस कार्रवाई से दुखी होकर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका दायर कर विवादित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की है (प्रति अनुलग्नक पी. 6).

(2) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्ति, भले ही पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित कोटे के तहत नियुक्त किया गया हो, उसे अनुसूचित जाति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति के साथ-साथ पूर्व सैनिक कोटे से दिए गए लाभ का दावा कर सकता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री आर. एस.सी./एस.टी. का लाभ साथ ही याचिकाकर्ता को इससे इनकार करना निर्देशों के विपरीत है।

(3) राज्य के विद्वान वकील श्री जे.बी. टैकोरिया का तर्क है कि याचिकाकर्ता को शैक्षणिक योग्यता में छूट देकर भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित सामान्य श्रेणी के पद पर नियुक्त किया गया था, जो केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए उपलब्ध था, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए नहीं। उन्हें अनुसूचित जाति कोटे का लाभ नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता केवल पूर्व सैनिक

होने का लाभ पाने का हकदार था। 12 जनवरी, 1973 के सरकारी निर्देशों के मद्देनजर उन्हें अनुसूचित जाति कोटा के आधार पर कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। आगे यह तर्क दिया गया कि 18 जुलाई, 1984 के निर्देश (कॉपी अनुलग्नक आर. 1) इस मामले में लागू नहीं हैं। याचिकाकर्ता का क्योंकि निर्देशों का कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। आक्षेपित आदेश 12 जनवरी, 1973 के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है जो मुख्य सचिव की सलाह के अनुसार याचिकाकर्ता के मामले में लागू होते हैं।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार किया है और विषय पर प्रासंगिक निर्देशों का अध्ययन किया है।

(5) विचार के लिए संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या याचिकाकर्ता दोहरे लाभों का दावा करने का हकदार है, यानी एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते और दूसरा अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण। याचिकाकर्ता को शुरू में योग्यता में छूट देकर पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित एक रिक्ति के खिलाफ क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया था। उनकी नियुक्ति के समय अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए योग्यता में कोई छूट नहीं थी और 12 जनवरी, 1973 के सरकार के निर्देशों के मद्देनजर उन्हें केवल भूतपूर्व सैनिक माना गया था। उक्त निर्देशों के अनुसार किसी अन्य श्रेणी से संबंधित भूतपूर्व सैनिक, जिसके लिए सेवा/पद में आरक्षण है, को या तो भूतपूर्व सैनिक माना जाना चाहिए या किसी अन्य श्रेणी से संबंधित व्यक्ति माना जाना चाहिए, जिसके लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया है, जो भी हो अधिक लाभकारी है और उसे तदनुसार आरक्षण एवं अन्य लाभ दिये जाने चाहिए। सरकार ने मामले की फिर से जांच की और निर्णय लिया कि एक पूर्व सैनिक, जो एस.सी./बी.सी. भी है, के चयन और नियुक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी की पसंद के कोटा के विरुद्ध गिना जाना उचित होगा। उक्त कर्मचारी पूर्व सैनिकों और एस.सी./बी.सी. दोनों को बाद में दिए जाने वाले लाभों का हकदार होगा। कार्मिक। मेरा विचार है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए पदों का आरक्षण वैधानिक होने के कारण, अनुसूचित जाति के एक कर्मचारी को इस दलील पर इस लाभ से वंचित कर दिया गया कि उसे शुरू में पूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद के खिलाफ सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। 18 जुलाई, 1984 के सरकारी पत्र में निहित निर्णय 12 जनवरी, 1973 के पहले के निर्देशों में कानूनी कमी को दूर करता है। अन्यथा, 18 जुलाई, 1984 के पत्र में यह नहीं

कहा गया है कि इसमें शामिल निर्देश उन लोगों पर लागू नहीं होंगे जो पहले से ही सेवा में हैं या इनका केवल संभावित प्रभाव होगा।

(6) प्रतिवादी की ओर से अन्य उचित तर्क दिया कि पूर्व सैनिक होने के कारण याचिकाकर्ता को दी गई योग्यता में छूट के खिलाफ उच्च पद पर पदोन्नति के लिए याचिकाकर्ता के विचार के वास्तविक मुद्दे के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एस.सी. के लिए कोटा आरक्षित किया गया क्योंकि याचिकाकर्ता को 1979 में सहायक के रूप में पदोन्नत किया गया था, इस तथ्य के बावजूद कि क्लर्क के रूप में प्रारंभिक चयन के समय उसे योग्यता में छूट दी गई थी। मुझे सेवा नियमों में ऐसा कोई कानून या प्रावधान नहीं दिखाया गया है जो ऐसे कर्मचारी को उच्च पद पर पदोन्नति से रोकता हो।

(7) ऊपर जो देखा गया है, उसके मद्देनजर, इस याचिका को अनुमति दी गई है और यह निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा के खिलाफ पदोन्नति का लाभ, जिससे याचिकाकर्ता है, उसे भी दिया जाए। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रिंस कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी